आचार्य राममूर्ति समिति (1990) तथा स्त्री शिक्षा
Acharya Ram Murti Committee (1990)
And women Education :-

आचार्य राममूर्ति समिति ने महिला शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नांकित महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं-

1. शिशु देखभाल तथा शिक्षा केन्द्र प्राथमिक विद्यालयों के समीप स्थापित किया जाना चाहिए साथ ही इनकी समयावधि को विद्यालय की समयावधि के साथ समायोजित किया जाय।
2. कक्षा 1 से 3 का पाठ्यक्रम शिशु शिक्षा केन्द्र के अनुरूप बनाया जाय।
3. आंगनबाड़ी कार्यक्रमों तथा विद्यालय शिक्षकों में समन्वय स्थापित किया जाय।
4. 300 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में

प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाय।
5. 500 या इससे अधिक आबादि वाले क्षेत्र में एक (जुनियर) हाईस्कूल स्थापित की जाय।
6. विद्यालय की समयावधि को स्थापित क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुकूल निर्धारित किया जाय।
7. शाला त्यागी (Dropouts) बच्चों के लिए गैर - औपचारिक (Non-formal) विधियों को काम में लाया जाय।
8. योग्य छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाय।
9. योग्य छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाय।
10. योग्य छात्राओं को महिला शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाय।
11. छात्राओं को विद्यालय पहुँचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की जाय।
12. छात्राओं के लिए पृथक विद्यालय की स्थापना की जाय इसके लिए विद्यालय समय का प्रयोग दो पालियों में में किया जा सकता है। एक पाली में लड़कियाँ और दूसरी पाली में लड़कों के लिए।
13. जहाँ सह शिक्षा है वहाँ अधिक अध्यापिकाएँ नियुक्त की जाय।
14. छात्राओं को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाएं।
15. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसायिक धारा के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
16. व्यवसायिक शिक्षा में उसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए छात्राओं की उपयुक्त व्यवस्था की जाए। साथ ही पुस्तक, पाठ्य-पुस्तक आदि के वित्तीय सहायता दी जाए।

Scanned with CamScanner